फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सोहनलाल पुत्र गुलाबजी जाति घांची निवासी बीजापुर तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध प्रकरण सं. GCMS No. 2025/443
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18-07-25	प्रार्थीगण सोहनलाल वगैरा द्वारा नक्शे में तरमीम शुद्धि के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र पर पटवारी हल्का बीजापुर एवं निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बीजापुर क खसरा नंबर 1936 रकबा 2.44 हैक्टर है जबकि कम्प्यूटराईज्ड नक्शे की जो तरमीम है उसके अनुसार रकबा 2.30 हैक्टर ही होता है। इस. प्रकार जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.14 हैक्टर भूमि कम होती है। पडौस स्थित भूमि ग्राम बीजापुर के खसरा नंबर 1936/2953 का जमाबदी में दर्ज अनुसार रकबा 2.6400 हैक्टर है, जबकि कम्प्युटराइज्ड नक्शे की स्थिति के अनुसार रकबा 2.84 हैक्टर होता है, जो कि जमाबंदी में दर्ज रकबे से 0.20 हैक्टर अधिक है। इस प्रकार नक्शे में गल्त तरमीम की वजह से नक्शे की स्थिति अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी के मुकाबले 0.14 हैक्टर भूमि कम होती है। अत: नक्शे में तरमीम शुद्धि का निवेदन किया। मामला प्रथम दृष्टया बनना जाहिर है। अतः प्रकरण राजस्व विविध में पंजीबद्ध किया जावें। चूंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पटवारी हल्का बीजापुर व निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्वीकार करते हुये सेग्रीगेशन के दौरान तरमीमशुदा नक्शों की बरारी करते हुये ऑनलाईन डिजीटाइज्ड खसरा शीट व जमाबंदी में दोनों खसरा नंबरान के दर्ज क्षेत्रफल के रकबे में निम्नानुसार अंतर होना प्रकट किया:–	

खसरा नंबर	जमाबंदी में दर्ज रकबा	डिजीटाइज्ड शीट अनुसार क्षेत्रफल	अंतर
1936/2953	2.64 हैक्टर	2.8691 हैक्टर	+ 0.2291 हैक्टर
1936	2.44 हैक्टर	2.3042 हैक्टर	– 0.1358 हैक्टर

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1936 का रकबा 0.14 हैक्टर कम होने तथा खसरा नंबर 1936/2953 का रकबा 0.20 हैक्टर ज्यादा होने से खसरा नंबर 1936/2953 व खसरा नंबर 1936 के बीच स्थित खसरा लाईन को 4 मीटर खसरा नंबर 1936/2953 की तरफ बढ़ाने की अनुशंषा की।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि उक्त तरमीम से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1936 व पडौसी खसरा नंबर 1936/2953 के जमाबंदी में दर्ज रकबे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है तथा जांच रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार नक्शा शीट से मिलान नहीं हो रहा है। जिससे माफिक जांच रिपोर्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता… इस हुक्म की … हुई
	तहत नक्शे में शुद्धि के आदेश दिये जाते है। निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर व पटवारी हल्का बीजापुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावें। आदेश की पालना तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभिलेख बीजापुर सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.) *